सं. 31011/1/2020-स्था.(क.IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(स्थापना क-IV डेस्क)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 05 फरवरी, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय- एलटीसी के उद्देश्य से बुक किए गए हवाई/रेल टिकटों के लिए रद्दीकरण/पुनर्निर्धारण शुल्क की प्रतिपूर्ति और कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी अग्रिम में छूट- स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 जनवरी, 2021 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समसंख्यक का.ज्ञा. के पैरा 3 (ii) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया था किः

ऐसे मामलों में, जहां एयरलाइनों ने रिफंड की राशि को 'क्रेडिट शेल' में रखा है, मंत्रालय/विभाग लॉकडाउन अवधि (मार्च-मई, 2020) के दौरान निर्धारित एलटीसी यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए एलटीसी अग्रिम के पुनर्भुगतान की अवधि को 28.02.2021 तक या ऐसे समय तक जब एलटीसी यात्रा करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा 'क्रेडिट शेल' की राशि का उपयोग किया जाता है, जो भी पहले हो, बढ़ा सकते हैं।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कर्मचारी एलटीसी नियमों के अनुसार वर्ष 2020 में एलटीसी यात्रा करने के पात्र थे, किन्तु लॉकडाउन अवधि (मार्च-मई, 2020) के दौरान एलटीसी यात्रा पर नहीं जा सके और जिनकी रिफंड की धनराशि को एयरलाइनों ने क्रेडिट शेल' में रखा है, उन्हें दिनांक 28.02.2021 तक अपनी एलटीसी यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा ऐसी एलटीसी को आवेदित किए गए ब्लॉक वर्ष में गिना जाएगा। यह उन नए भर्ती वाले कार्मिकों के मामले में भी लागू होगा, जो आठ वर्ष के प्रारंभिक ब्लॉक में प्रतिवर्ष एलटीसी लेने के हकदार हैं।

(सतीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ शासित प्रशासन।
7. लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।